

FORM NO- 10

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

उप निदेशक कृषि (विस्तार) सीकर बनाम रोहिताश

किस्म मुकदमा:- पीडीआर.एक्ट

मु0न0- 09/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर वतारीख अहकामजो इस हुक्मकी तामील में जारी हुए
18.12.2019	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है कि उप निदेशक कृषि (विस्तार) सीकर के द्वारा श्री रोहिताश पुत्र फूलसिंह प्रोपराईटर मै0 भारत इन्टरप्राईजेज, कटराथल सीकर के विरुद्ध सीकर जिले के कृषकों को फव्वारा सैट के लिये दिये गये अनुदान की राशि 47,665/- रुपये अवधि वर्ष 1992 की वसूली पी.डी.आर. के तहत किये जाने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में भिजवाया है।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी की और से उक्त राशि बकाया नहीं होने के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज ना तो प्रस्तुत किया गया एवं इस सम्बंध में ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित किया जा सके कि अप्रार्थी द्वारा उक्त बकाया राशि जमा करवाई जा चुकी है। अतः बाकीदार श्री रोहिताश पुत्र फूलसिंह प्रोपराईटर मै0 भारत इन्टरप्राईजेज, कटराथल सीकर से मूल बकाया राशि 47,665/- रुपये अंकेही सैतालिस हजार छः सो पैसठ रुपये मात्र वर्ष 1992 से 13 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं पी.डी.आर.एक्ट की धारा 14 के तहत इस संदर्भ में बने नियम 12 ए के तहत कोस्ट (वसूली चार्ज) 10 प्रतिशत से 4766/- रुपये अंकेही चार हजार सात सो छियासठ रुपये मात्र वसूल किये जाने के आदेश दिये जाकर वसूली हेतु सर्तिफिकेट स्वीकार नियम 4 के अन्तर्गत वसूली हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जावे। उक्त सर्तिफिकेट स्वीकार नियम 4 उपखण्ड अधिकारी, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि एल.आर.एक्ट की धाराओं के तहत नियमानुसार वसूली की जाकर सम्बंधित विभाग में जमा करवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।</p>	

